

उद्योग मंत्री ने की 'मुख्यमंत्री लघु वाणज्यिक वाहन स्वरोज़गार योजना' लॉन्च चर्चा में क्यों?

1 दिसंबर 2022 को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उद्योग भवन स्थिति बीआईपी बोर्ड रूम में 'मुख्यमंत्री लघु वाणज्यिक वाहन स्वरोज़गार योजना' को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिये ज्यादा से ज्यादा स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु इस योजना को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के 3300 व्यक्तियों को 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर लाभ दिया जाएगा।
- योजना के तहत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणज्यिक वाहन (स्मॉल कमर्शियल व्हीकल) क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60 हजार (दोनों में से जो भी कम) का अनुदान राज्य सरकार से तथा समकक्ष/अधिक अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाएगा।
- उद्योग मंत्री ने बताया कि योजना के तहत कोई भी राजस्थान नवासी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य है, अपनी एसएसओ आईडी या mlvsy.rajasthan.gov.in के ज़रिये आवेदन कर सकता है।
- प्रस्तुत आवेदन ज़िला उद्योग एवं वाणज्य केंद्र द्वारा जाँच के बाद संबंधित कंपनी को भेजा जाएगा। कंपनी द्वारा दस्तावेज़ अपलोड कर परीक्षण के लिये दोबारा ज़िला उद्योग एवं वाणज्य केंद्रों को भेजा जाएगा। वहाँ परीक्षण के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि योजना के लिये तीन वाहन कंपनियों-टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महदिरा एंड महदिरा को पात्र बनाया गया है। टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 तथा महदिरा राइज के 17 वेरिएंट पर यह योजना लागू होगी।